न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार (आर.ए.एस)

निगरानी संख्या – 08/2019 पुनः दर्ज न. 10/2021

रामदयाल पुत्र रणजीता मीणा निवासी ग्राम चकवाडा, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू, राजस्थान

निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

विकास अधिकारी, प्रचायत समिति फागी, जिला दूदू, राज0

2. दुर्गालाल मीणा पुत्र श्योकरण निवासी ग्राम चकवाडा, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू, राजस्थान

3. ग्राम पंचायत चकवाडा जरिये सरपंच/सचिव, पंचायत समिति फागी

गैर निगरानीकर्ता/अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

निगरानी कर्ता अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह मण्डावरी

गैर निगरानी कर्ता अधिवक्ता रामावता सैन/मनोज नाथावत

अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.2019 न्यायालय पंचायत समिति फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू

निर्णय

दिनांक :– 24.7.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी, जिला दूदू, राजस्थान के निर्णय दिनांक 24.06.2019 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर अपनी निगरानी याचिका पेश कि है गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध एक अपील न्यायालय पंचायत समिति फागी में इस आशय की प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "ग्राम पंचायत चकवाडा ने जरिये पत्रावली संख्या 46 दिनांक दायर 08.06.1978 के 200X200 फिट का आबादी भूमि विकय विलेख जिसमें जारी दिनांक एवं ग्राम पंचायत आज्ञा दिनांक का अंकन किये बिना जारी किया गया है जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं सामान्य नियम 1961 के विपरीत गैर कानूनी फर्जी एवं मनगढन्तजारी किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनियम एवं

अति. जिला कलक्टर

सामान्य नियमों में आबादी भूमि विक्रय के बने हुये है। पट्टा धारक पट्टे के नाम से आराजी खसरा नम्बर 1951/5 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1951/8 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है और पट्टा बताकर परेशानी न्यायालय वाद फौजदारी प्रकरण बनता है। अतः खातेदारी भूमि को विक्रय करने का अधिकार कृषक में ही निहित अन्य को नहीं इसलिए फर्जी कपोल कल्पित मनगढन्त दस्तावेज पट्टा संख्या 1 स्व0 रणजीता पुत्र बालूराम को निरस्त फरमाया जावे। ग्राम पंचायत मात्र 150 वर्गगज भूमि देने का अधिकार रखती है। 200x200 =4444.44 वर्गगज भूमि अर्थात 1.46 बीघा भूमि होती है। ग्राम में प्रतिवादीगण आवश्यकता हेतु बीघा अनुरूप भूमि दी जाने लगी तो आबादी भूमि संपरिवर्तन करवाकर समस्त राजकीय भूमि शून्य होकर कृषि के लिए भूमि बचना भी मुश्किल लगता है। जिस दस्तावेज से न्यायालय, पुलिस प्रशासन आदि सभी को गुमराज कर रहा है वह जारी होने के नियम है उनकी अनुपालना करते हुए ग्राम पंचायत निर्णय से जारी किया जाना होना नियत है किन्तु इसमें आज्ञा/निर्णय का कोई उल्लेख ही नहीं है। पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। आबादी स्थल के पट्टे को खातेदारी भूमि में स्थापित करना न्यायोचित ही नहीं है। विक्रियत खातेदारी भूमि में पट्टा होना गैर कानूनी है। तत्तकालीन पट्टा धारक रणजीता पुत्र बालूराम की मृत्यु होने पर पुत्र को पक्षकार बनाकर अपील प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो कि स्वीकार कर पट्टा ग्राम पंचायत चकवाडा निरस्त फरमाया जावें। राज्य सरकार के अधिनियम एवं नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये दण्डित करवाया जावें ताकि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण उत्पन्न नहीं होवें। प्रथमदृष्टया आबादी भूमि विक्रय कर अधिकार था। कृषक भूमि का बेनामा किस्में एवं कैसे तैयार किया ? कृषक भूमि पर पट्टा दिये जाने को कोई अधिकार ग्राम पंचायत में निहित नहीं है। स्थल खसरा नम्बर 1951/5 एवं खसरा नम्बर 1951/8 राजस्व ग्राम चकवाडा में व्यक्तिगत खातेदारी की कृषक भूमि है जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। नियम विरूद्ध जारी पट्टा रणजीता पुत्र बालू मीणा निवासी चकवाडा को निरस्त फरमाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानी कर्ता को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का प्रर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायाचित है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.06.1978 के विरूद्ध अर्थात 41 वर्ष पश्चात विधिवत रूप से काबिज व्यक्ति एवं निर्मित तामीरात के विरूद्ध पारित समरिली प्रक्रिया के तहत पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थी निगरानीकर्ता अपने पूर्वजों के समय से ग्राम पंचायत के आवंटन पत्र के अनुसार 41 वर्ष से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। लाखों रूपये लगाकर अपने निजी उपयोग हेतु विकसित किया है। आक्षेपित निर्णय जारी करने से पूर्व ना तो वास्तविक मौका रिपोर्ट तलब की गई ना ही वादग्रस्त भूखण्ड की वास्तविक पैमाईश की गई। आक्षेपित निर्णय दुरभि संधि करके दुर्गालाल मीणा द्वारा प्राप्त किया गया है जबकि वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट फागी के समक्ष वाद मय टी.आई. दिनांक 05.10.2018 से निरन्तर लम्बित है जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश भी पारित किये जा चुके है, उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में दुर्गालाल भी पक्षकार है। जिसकी जानकारी होने के बाद भी रेस्पोडेण्ट 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के सामने सही तथ्यों का उल्लेख नहीं करके मिथ्या एवं अधूरे तथ्यों के आधार पर अपील पेश कर बाले–बाले आक्षेपित निर्णय पारित करवाया है। आक्षेपित निर्णय की जानकारी दिनांक 17.10.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश फागी के समक्ष प्रस्तुत जवाब दावे व जवाब टी.आई. में दी तब प्रार्थी को प्रथम बार इसकी जानकारी हुई। इसके पश्चात उक्त आक्षेपित निर्णय की नकल हेतु

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन कर दिनांक 22.10.2019 को प्राप्त हुई इस प्रकार उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है, फिर भी निर्णय दिनांक 24.06.2019 से जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी के लिए छूट प्राप्त करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय को निगरानी याचिका श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें। निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी डीले कन्डोन किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी 1 ने मूल रिकार्ड पेश किया। शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से जवाब निगरानी पेशकर निवेदन किया कि निगरानी में वर्णित तथ्य अस्वीकार है एवं निराधार है। अतिरिक्त कथन में बताया कि पट्टा संख्या 1 जिस भूमि के संबंध में जारी किया गया है वह पूर्व से ही अर्थात सेटलमेन्ट के समय से ही खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में चांदमल, कपूर चन्द पिसरान मिश्रीलाल कौम महाजन के नाम दर्ज रही है। ग्राम पंचायत चकवाडा को किसी भी प्रकार से खातेदारी भूमि में पट्टा दिये जाने का किसी भी प्रकार से वैधानिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1951/5 रकबा 02 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1951/8 रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि को विपक्षी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2016 को वरवक्त क्रय समय पर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था आज भी विपक्षी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है ऐसी स्थिति में निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत चकवाडा ने पट्टा संख्या 1 तारीख दायर दिनांक 08.06.1978 अंकित की है लेकिन पट्टा जारी करने की तारीख पट्टे पर कही भी अंकित नहीं की है। पट्टा धारक निगरानीकर्ता से मिलीभगत करते हुये ग्राम पंचायत चकवाडा ने पंचायती राज अधिनियम के विपरित जाकर दिगर व्यक्तियों की खातेदारी भूमि में बिना कब्जे की जांच एवं वास्तविक मौका स्थिति की रिपोर्ट लिए बगैर ही उक्त पट्टा जारी किया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने पट्टा धारक स्व0 रणजीता पुत्र बालू मीणा के हक में ग्राम चकवाडा पट्टे में दर्शित नाप के मुताबिक 200X200 फिट अर्थात 4444.44 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी कर दिया जो लगभग 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि के बराबर है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पट्टा जारी किया है, इसलिए पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब निगरानी याचिका मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 को बहाल रखे जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि निगरानीकर्ता को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने एवं आदेश दिनांक 24.06.2019 की सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी निगरानीकर्ता ने न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है, इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

निगरानी याचिका पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील निगरानी कर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय पारित किया गया है। आक्षेपित आज्ञा दिनांक 08.06.1978 के विरूद्ध 41 वर्ष पश्चात काबिज व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रार्थी निगरानीकर्ता अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट नहीं ली गई भूखण्ड की वास्तविक पैमाईश भी नहीं करवाई गई। अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 दुर्गालाल ने दुरर्भि संधि करके निर्णय पारित करवाया है। निगरानीकर्ता को आक्षेपित निर्णय की जानकारी 22.10.2019 को प्राप्त हुई, निर्णय दिनांक 24.06.2019 से जानकारी के अभाव में निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी के लिये प्रथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर दिया है। न्यायहित में डीले कन्डोन किया जाकर निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

वकील गैरनिगरानीकर्ता 2 ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2019 विधि के अनुकूल पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एवं अप्रार्थी के जबाव का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी ने अपने निर्णय दिनांक 24.6.2019 में अपील में वर्णित पट्टे से सम्बंधित पत्रावली संख्या 46 दिनांक 08.6.1978 का रिकार्ड तलब ही नही किया है। ग्राम पंचायत चकवाडा की मूल पत्रावली का परीक्षण किये बिना ही निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी को नोटिस की तामील की प्रकिया भी पूर्ण रूप से नही की गई है। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण रूप से मौका नही दिया गया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि प्रत्येक हितबद्व पक्षकारा को सुनवाई का पूर्ण रूप से मौका दिया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2019 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य/दस्तावेज रिकार्ड पर लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति सहित मूल पत्रावली वापस लोटाई जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner